JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आधुनिक भारतीय सामाजिक संरचना के निर्माण में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका

डॉ० मन्जु
एसोसिएट प्रोफेसर
दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

Abstract: (सारांश)

सामाजिक लोकतंत्र के निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का परिणाम स्वतन्त्रता पश्चात् पारित विभिन्न हिंदी विधि सुधार अधिनियमों के रूप में स्पष्ट देख पाते हैं। लोकतंत्र, समानता स्वतंत्रता, न्याय अधिकार जैसे आधुनिक मूल्यों की स्थापना का श्रेय भारतीय संविधान व डॉ० भीमराव अम्बेडकर को ही दिया जा सकता है, जिनका उद्देश्य समाज से लैंगिक व जातिगत विषमता को हटाना था।

Keyboard (संकेत शब्द) – प्राचीन हिंदू विधि, लैंगिक विषमता, जातिगत पदसोपान आधारित सामाजिक संरचना, हिंदू कोड बिल, स्वतंत्रता पश्चात् आधारित प्रमुख हिंदू अधिनियम, सामाजिक लोकतंत्र

डॉ० भीमराव अम्बेडकर को हम एक विधिवेता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनैतिक नेता तथा संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ० अम्बेडकर को संवैधानिक सभा में आधुनिक मनु कह कर उन पर व्यंग्य किया गया कि अम्बेडकर सुधार के नाम पर पुरातन विधियों को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू कोड बिल वह प्रयास था जिसके द्वारा डॉ० अम्बेडकर पितृसत्तात्मक व जातिगत असमानता को हिंदू समाज से दूर कर देना चाहते थे। भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 72 वर्ष हो चुके हैं तथा आज का समाज, स्वतंत्रता पूर्व

समाज से भिन्न, प्रगतिशील व विकासमय है। इस प्रगतिशील समाज निर्माण के पीछे जिस व्यक्ति का प्रयास सर्वोपरि था, उन्हें हम डॉ० भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते है।

भारत प्राचीन विधि व परंपराओं का देश रहा है, जहाँ विविध संस्कृतियों का मेल देखने को मिलता है। भिन्न धर्म, जाति व भाषाएं इस विविधता का आधार रहे है। धर्म जहां अपने शुरुआती दौर में काफी प्रगतिशील प्रतीत होते थे, वहीं कालांतर में उनमें कुछ कमियाँ व जड़ता आनी शुरू हो गई थी। जैसे हिंदू समाज जिसमें वर्णव्यवस्था का अति महत्व था तथा जो कि कर्मप्रधान नियमों पर आधारित थी, वह उत्तर वैदिक काल में जन्म प्रधान हो गई क्योंकि उसमें सर्कीणता आ गई थी। संकीर्णता इतनी थी कि छुआछूत का व्यवहार होने लगा था। एक जाति का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं से कमजोर व तुच्छ समझने लगा था। यह व्यवहार हिंदू समाज में एक लंबे समय तक चलता रहा, जिसने भातीय हिंदू समाज को भिन्न जातियतों व अनगिनत उपजातियों में बांट दिया। इस टूटन व विखंडन का परिणाम यह रहा कि जब कभी भी विदेशी आक्रमण हुए तो उसका विरोध मिल कर नहीं किया गया, तथा भारत को आक्रमणकारियों का प्रकोप भीष्ण रूप में सहना पडा।

अगर बात विशेषकर हिंदू धर्म की कि जाए तो यह प्राचीन विधियों (धर्मों) में से एक धर्म है। इससे दैविय रचना माना जाता है। धर्म का स्त्रोत वेद है। मनु के अनुसार धर्म के चार स्त्रोत है– वेद, स्मृतियाँ, सदाचार व सज्जनों का आचरण, मान्य प्रथायें या रीतिरिवाज। याज्ञवलक्य के अनुसार वेद, स्मृति, सदाचार, जो अपने को प्रिय लगे और इच्छायें जो उचित विचार–विमर्श से उत्पन्न हो, धर्म के आधार कहे जा सकते है। धर्म (विधि) के मुख्य स्त्रोतों में श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, भाष्य (टीकायें) तथा सार संग्रह, न्यायिक निर्णय, विद्यायन, न्याय साम्य, सद्विवेक, प्रथायें मानी जाती रही है।

संक्षेप में कहा जाए तो यही वह प्रमुख आधार थे, जिन पर हिंदू विधि (धर्म) की संरचना तैयार हुई, इतिहास में इनका बड़ा महत्व रहा है। हिंदू विधि ने अपनी व्यापकता, अपने आदर्शों की उच्चता व तार्किक संगति के कारण विधि शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य स्थान प्राप्त किया है। विधि शास्त्रियों के अनुसार विधि का अस्तित्व जनता के लाभ के लिये है और इसलिए उन्होंने विधि को समाज पर बाध्यकारी सामाजिक हितों के उपकरण के रूप में माना है। विधि की बाध्यता यदि संपूर्ण समाज के हित में है तो उनका पालन भी सहर्ष होगा, लेकिन यदि वे बाध्यकारी नियम,

वर्ग–विशेष का कल्याण नहीं कर पाते हो, तो उनमें संशोधन की अति आवश्यकता होगी। अतः स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता पश्चात् हिंदू विधि के अन्तर्गत हुये संशोधन इसी बात की ओर इशारा करते है, कि बदलते समय व परिस्थितियों के अनुसार विधियों की पुर्नव्याख्या भी आवश्यक है।

हिंदू कोड बिल वही प्रयास था जिसके द्वारा हिंदू विधि की पुर्नव्याख्या की जानी थी, ताकि समय के अंतराल में जिन विधियों में रूढ़ियां या संकीर्णता स्थापित हो गई थी उन्हें पुनः व्यवस्थित किया जा सके। हिंदू विधि के अन्तर्गत दो ऐसे प्रावधान थे जो लैंगिक व जातिगत समानता के विपरीत थे। हिंदू वैवाहिक प्रथा तथा हिंदू दत्तक ग्रहण संस्कार। इन दोनों विधियों में व्यवहार की असमान रीतियों का प्रयोग किया जाता था। जिसे हम निम्न संदर्भ में समझ सकते है। हिन्दू विधि में विवाह– (1) स्मृतियों में पुरुषों के लिए बहुविवाह का प्रचलन देखने को मिलता था, जहां पुत्र–प्राप्ति के लिए पुरुष दूसरा विवाह कर सकते थे (पिंडदान–संस्कार के लिए पुत्र का होना जरूरी माना गया था।)

(2) विवाह सजाति (जातिगत) हुआ करते थे। लेकिन अनुलोम विवाहों का भी चलन था जिसमें उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की महिला से विवाह कर सकते थे लेकिन प्रतिलोम विवाहों को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं थी अर्थात् निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की महिला से विवाह नहीं कर सकता था।

(3) विवाह के लिए उम्र वर की 18 तथा वधु की 14 मानी जाती थी।

इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि समाज में पुरुष वह भी उच्च जाति के पुरुषों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे एक से अधिक विवाह कर सकते थे और किसी भी जाति की महिला से विवाह कर सकते थे। स्वतंत्रता पश्चात पारित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इन नियमों को परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का प्रेरणास्त्रोत हिंदू कोड बिल था जिसमें हिंदू विवाह के लिए निम्न प्रावधान किए गए।

(1) हिंदू कोड बिल के पहले प्रावधान में यह बताने का प्रयास था कि हिंदू कौन है जिसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में अपनाया गया कि यह कानून हिंदुओं पर लागू होग (जो भी व्यक्ति मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चिन व यहूदी नहीं है वह हिंदू माना जाएगा।)

(2) हिंदू कोड बिल में दो प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया शास्त्रीय व सिविल। इसके साथ ही एकलविवाह का प्रावधान रखा गया, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही बिना विवाह–विच्छेद किए दूसरा विवाह नहीं कर सकते।

(3) सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अन्तर्जातिए विवाह का प्रावधान किया गया, जहाँ कोई भी दो हिंदू स्त्री पुरुष किसी भी जाति में विवाह कर सकते है। जिसमें चयन समिति ने तीन नये प्रावधानों को इसके अन्तर्गत रखा– न्यायिक पृथ्थकरण, बालकों का संरक्षण, विवाह के लिए उम्र वर 18 व वधू 14 ।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में इन बातों को रखा गया था कि कोई भी दो हिंदू चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हो, स्वस्थ मानसिक व शारीरिक स्थिति के हो, निषेधित नातेदारी में न आते हो विवाह कर सकते है, तथा वर की उम्र 21 तथा वधू की 18 निर्धारित की गई।

विवाह–विच्छेद की बात करें तो न हिंदू कोड बिल तथा हिंदू विवाह अधिनियम में इसे अलग भाग न बनाकर विवाह प्रावधान के साथ जोड़कर ही प्रस्तुत व स्वीकृत किया गया। हिंदू विधि में विवाह–विच्छेद (तलाक) का कोई प्रावधान नहीं था। हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना गया है, जो जन्म–जन्म तक चलता है। मगर कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन धार्मिक स्मृतियों में किया गया था जिनके आधार पर पति –पत्नी एक–दूसरे से विमुख हो सकते हो। यदि पति असाध्य रोग से पीड़ित हो, 7 वर्ष से अधिक से घर से लापता हो तो पत्नी अन्य विवाह कर सकती है जबकि पति पुत्र–प्राप्ति हेतू दूसरा विवाह कर सकता है। पत्नी पति के जीवित रहते विवाह तो नहीं कर सकती थी, मगर नियोग द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकती थी।

इसके विपरीत हिंदू कोड बिल में नपुंसकता, संक्रामक रोग, व्यभिचारिता, क्रूरता या दोनों में से किसी ने भी हिंदू धर्म का त्याग किया हो, तो वह विवाह विच्छेद का आधार होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में विवाह–विच्छेद के इन्हीं आधारों को रखा गया, जिसमें पत्नी निम्न आधारों पर विवाह भंग की याचिका दे सकती है– (1) पति ने यदि अन्य स्त्री से विवाह कर लिया हो, या विवाह से पूर्व उसकी अन्य कोई पत्नी हो। (2) पति विवाह पश्चात् बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी हो। (3) पति–पत्नी (पक्षकारों) में एक वर्ष या उससे अधिक समय

तक सहवास का पुनरारम्भ नहीं हुआ हो। (4) यदि दोनों में से किसी ने भी हिंदू धर्म का त्याग कर दिया हो।

परंपरागत हिंदू विधि तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत हम दो प्रकार की सामाजिक संरचनाएं देख सकते है, जहाँ पहली व्यवस्था में सर्कीणता, जातिगत पदसोपान तथा लैंगिक असमानता को तत्व देखने को मिलते है, वहीं दूसरी व्यवस्था में इन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। अब अन्तर्जातिए विवाहों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है, जिनसे समाज के जातिगत बंधन ढीले पड़ने शुरू हो चुके है। नेशनल काऊंसिल ऑफ एपलाईड इनकोमिक रिसर्च (2016) के अनुसार भारत में मात्र 5 प्रतिशत विवाह अन्तर्जातिए विवाह होते है, तथा 95 प्रतिशत विवाह अपनी ही जाति में किए जाते हैं। देखने में यह आँकड़ा बहुत छोटा है लेकिन सदियों पुराने जातिगत बंधन की पकड को ढीला करता ये प्रतिशत समाज की जागरुकता, कानूनों की पहचान तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता जैसे आधुनिक मूल्यों को आत्मसात करने की ललक के रूप में प्रदर्शित होता हैं

हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। वैसे तो हिंदू कोड बिल, हिंदू लॉ समीति द्वारा (राव समीति) निर्मित किया गया, लेकिन उसे पास करवाने का संकल्प डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने किया। चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में न केवल उन्होंने इस विधेयक में कुछ जरूरी प्रावधानों को जोडा बल्कि सदन में तथा सदन के बाहर कट्टरपंथियों का सामना भी किया। तात्कालिक समाज इन सुधारों को अति क्रांतिकारी मान रहा था। इसे परिवार तोड़क व समाज तोडक माना जा रहा था। विवाह–विच्छेद का प्रावधान हिंदू धर्म के विपरीत माना जा रहा था। तब शास्त्रों के जानकार सोहन लाल शास्त्री की मदद से स्मृतियों में वर्णित महिलाओं के अधिकारों को जनता तक पहुंचा कर, एक आम सहमति शामिल करने की कोशिश की। विभिन्न पत्रों को प्रकाशित कर यह बताने की कोशिश की गई कि जिन प्रावधानों को हिंदू कोड बिल में रखा गया है, वह धर्म का ही हिस्सा है। विभिन्न स्मृतियाँ इसकी साक्षी हैं। वर्ण व्वस्था पर चोट करता अन्तर्जातिए विवाह का प्रावधान आज भी खाप पंचायत ऑनर किंलिग या समाज बहिष्करण का आधार बना दिखाई देता है, वहीं शहरी भारत में जातिगत बंधन कमजोर होते दिखाई पड़ते है तथा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग तो इस प्रकार के विवाह कों सहर्ष स्वीकारने लगा है। पुरातन सामाजिक संरचना अब बदलने लगी है, जो

कि एक आधुनिक भारत के निर्माण का संकेत है। जिसका श्रेय डॉ० भीमराव अम्बेडकर को दिया जा सकता है।

दत्तक ग्रहण भी हिंदू कोड बिल का एक ऐसा प्रावधान था, जिसमें लैंगिक व जातिए असमानता को दूर करने का प्रयास था, जिसे हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया। दत्तक ग्रहण की प्राचीन विधियाँ इस अधिनियम से काफी फर्क थी तथा महिलाओं को इन विषय से काफी दूर रखा गया था। दत्तक ग्रहण की प्राचीन विधि की निम्न विशेषताएं थी–

(1) हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण की कई विधियां कृत्रिम, गोद तथा दैव्यमुशायन इत्यादि का वर्णन किया गया।

(2) दत्तक के रूप में सिर्फ पुत्र को ही गोद लेने का प्रचलन था क्योंकि पिंडदान व अंतिम संस्कार पुत्र करेगा जैसे नियमों की मान्यता थी।

(3) दत्तक ग्रहण जातिगत था, अर्थात् अपनी ही जाति के पुत्र बालक को गोद लिया जाता था।

(4) दत्तक लेने या देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही था।

(5) विधवा को दत्तक का अधिकार नहीं था।

अकसर हिंदू दत्तक ग्रहण की इन विधियों का उद्देश्य संपति का संक्रमण था।

(1) हिंदू कोड बिल के अन्तर्गत इन सभी पद्धतियों को हटाया गया, जिनका उद्देश्य संपत्ति का लेन–देन था।

(2) बालक के साथ बालिका को भी गोद लेने व देने का प्रावधान लैंगिक समानता की दिशा में बढ़ा कदम था।

(3) कोड में किसी भी जाति के बालक के साथ–साथ बालिका को भी गोद लेने व देने का प्रावधान रखा गया था, जिसके अन्तर्गत जातिगत निषेधता को हटाया गया।

(4) स्त्रियों अर्थात् पत्नियों को महत्व देते हुए यह प्रावधान रखा गया कि पति को गोद लेने के लिए पत्नी की सहमति लेनी होगी, तथा एक से ज्यादा पत्नियां होने पर कम से कम एक की स्वीकृति अनिवार्य है।

(5) इसके साथ ही विधवा स्त्री को गोद लेने का प्रावधान रखा गया था।

(6) हिंदू पुरुष अपनी मृत्यु के पश्चात् अपनी पत्नी या पत्नियों को गोद लेने के लिए अभिव्यक्त कर सकता है, का प्रावधान भी रखा गया।

(7) यदि किसी विधवा स्त्री ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया हो, पुर्नविवाह कर लिया हो, या उसके पौत्र या पुत्र की विधवा हो तो उसके गोद लेने का अधिकार निरस्त कर दिया जाएगा। (यदि एक बार विधवा के गोद लेने का अधिकार खत्म हो जाए, तो वह दुबारा प्राप्त नहीं हो सकता।)

(8) महिलाओं को अभिव्यक्ति का अधिकार देते हुए यह प्रावधान किया गया कि यदि पति ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो पत्नी भी गोद ले व दे सकती है।

(9) चयन समिति ने इसमें दो नये प्रावधानों को जोडा (क) यदि हिंदू पिता धर्म को त्याग देता है, तो वह दत्तक ग्रहण का अधिकार खो देगा, ऐसी स्थिति में दत्तक लेने या देने का अधिकार माता का होगा। (ख) ठीक इसी तरह यदि कोई विधवा माता हिंदू धर्म को त्यागती है तो वह भी गोद लेने व देने का अधिकार खो देगी। (चयन समिति) का मानना था कि यह कोड हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए है। अतः हिंदू धर्म में रहते हुए ही इसके प्रावधानों को प्रयोग में लाया जा सकता है।

हिंदू दत्तक व भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 के अनुसार कोई भी हिंदू पुरुष व स्त्री दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, पति को दत्तक हेतु पत्नी की स्वीकृति अनिवार्य है। लेकिन यदि दत्तक के समय एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, तो जब तक की किसी की सहमति अनावश्यक न कि गई हो, तो सभी की सहमति आवश्यक है। महिलाओं को बराबरी देता अगला प्रावधान यह है कि एक स्त्री जो 18 वर्ष से ऊपर है, स्वस्थ चित है, अविवाहिता है या पति की मृत्यु हो चुकी है, या पति ने संसार त्याग दिया है, लेकिन यदि जीवित है तो पति की सहमति आवश्यक है।

इसी प्रकार यदि माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक भी दत्तक दे सकता है (लेकिन दत्तक माता–पिता किसी को दत्तक नहीं दे सकते।)

धारा 11 के अनुसार यदि दत्तक पुत्र लिये जाने वाला है तो दत्तक लेने वाला पिता व माता का कोई हिंदू पुत्र, पौत्र व प्रपौत्र नहीं होना चाहिए, (ठीक इसी तरह पुत्री के संदर्भ में भी होगा दत्तक पिता व दत्तक पुत्री में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए।)

समय–समय पर बदली परिस्थितियों के चलते संविधान में संशोधन कर समाज को प्रगतिशील बनाने का प्रयास रहता है। ठीक इसी तरह 2015 में भारत सरकार द्वारा कुछ संशोधित निर्देश जारी किये गए, जैसे– (1) दत्तक ग्रहण करने वाले माता–पिता शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से स्थिर होने चाहिए। (2) कोई भी हिंदू पुरुष या स्त्री दत्तक ग्रहण कर सकती है– (क) वह विवाहित हो या अविवाहित। (ख) विवाहित जोड़े में दोनों की सहमति हो। (ग) एक अविवाहित महिला बालक या बालिका किसी को भी गोद ले सकती है लेकिन अविवाहित पुरुष बालिका को गोद नहीं ले सकता। (घ) दत्तक ग्रहण करने वाले दंपत्ति व बालक में 25 वर्ष का अंतर होना चाहिए।

सेंट्रल अडोप्शन रिर्सोस अथोरिटी CARA के अनुसार 2013–2014 तथा 2015–2016 में देशभर में 4475 तथा 6448 बालक/बालिकाऐं गोद ली गई, भारत में 10–15% विवाहित जोड़े, जनन अक्षमता (Infertility) से प्रभावित है, अर्थात् 27.5 लाख दंपत्ति गर्भ धारण करने में असमर्थ है। उनके लिए दत्तक ग्रहण एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जहाँ पहले संतान प्राप्ति विशेषकर पुत्र–प्राप्ति के लिए दूसरे विवाह की तरफ बढ़ जाते थे, वहीं अब गोद लेने जैसा संवैधानिक विकल्प (प्रावधान) मौजूद है, जो एकल विवाह, लैंगिक समानता स्थापित कर आधुनिक भारत के निर्माण की ओर अग्रसर दिखाई पड़ता है। वे सभी पद्धतियां जो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज के समक्ष वर्जनाओं के रूप में उपस्थित थे, को संवैधानिक प्रयासों द्वारा दूर कर सभ्य समाज की स्थापना ही नये भारत का लक्ष्य था। यह सपना डॉ० भीमराव अम्बेडकर का था, जो भारतीय समाज से पितृसत्तात्मक व जातिगत विभेदों को दूर करना चाहते थे। 1947 में भारत एक राजनैतिक लोकतत्र तो बन चुका था, लेकिन डॉ० अम्बेडकर भारत को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहते थे, जहाँ हर प्रकार के भेदभावों को द्वितीय श्रेणी की नागरिक समझा जाता था,

उन्हें पुरुषों के बराबर ला खड़ा किया। ठीक इसी तरह अछूत, दलित कहे जाने वाले वर्गों को भी समाज की मुख्य धारा में मिलाने का प्रयास किया है।

आधुनिक विचार लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार जैसे मूल्यों व आदर्शों की बात करते है। भारत में भी सही मायनों में इन मूल्यों की स्थापना का श्रेय भारतीय संविधान व डॉ० भीमराव अम्बेडकर को दिया जा सकता है। सामाजिक लोकतंत्र के निर्माण की नींव डॉ० अम्बेडकर ने सदन में हिंदू कोड बिल को प्रस्तुत करते हुए ही रख दी थी। चाहे वह बिल अपने मौलिक रूप में पास नहीं हो पाया, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात् पास अधिनियमों का आधार हिंदू कोड बिल ही था। समाज की दो प्रमुख कमजोरियों (लैंगिक व जातिगत विषमता) को इन दो अधिनियमों के द्वारा दूर करने करने का प्रयास किया। भारत को एक नई सामाजिक संरचना प्रदान करने का श्रेय डॉ० भीमराव अम्बेडकर को जाता है जिनका उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण था जिसे महिलाएं सशक्त हो वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके तथा जन्म के आधार पर मिली जातिए पहचान उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित न कर सके।

संदर्भ

1. अग्रवाल, के.बी. (2010) फैमिली लॉ इन इण्डिया, नीदरलैण्ड, कलूवर लॉ इंटरनेशनल

2. आजमी, एस.एच., (2001) अम्बेडकर एज पायनियर फार द अपलिफटमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ वूतन, इन खान एच, नजीर (संपादित) बी.आर. अम्बेडकर आन फेडरेलिज्म, एथेनेसिटी एण्ड जेंडर जस्टिम, न्यू दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन

3. अग्रवाल, बीना., (1988) स्ट्रेकचयर ऑफ पैट्रियार्कीः स्टेट कम्युनिटी एण्ड हाऊस एशिया, काली फॉर वूमन

4. कुबेर, डब्ल्यू एन., (2001) बी.आर. अम्बेडकर, न्यू दिल्ली, पब्लिकेशन डिविजन, आइएसबीएन, 9878123009445

5. कीर धनंजय., (1971) डॉ. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, बम्बई, पापुलर प्रकाशन

6. गजेन्द्रगड़कर, पी.बी. (1951) द हिंदू कोड बिल–2 धारवरः कर्नाटका यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन